कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बहराइच वन प्रभाग, बहराइच।

पत्रांक 3704 / 2–6, दिनांक, बहराइच, जनवरी, 23 /2022.

सेवा में,

सुप्रीटेन्डिंग इंजीनियर,
वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट सर्किल,
पी०डब्ल्यू०डी०,लखनऊ।

विषय :– **बहराइच–गोण्डा मार्ग एस०एच०–30 के कि०मी० 4.150 से कि०मी० 64.282 तक मार्ग के सुदृढ़ीकरण में बहराइच वन प्रभाग में प्रभावित 15.33 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 2250 वृक्षों के पातन, गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 32.0352 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 24897 वृक्षों के पातन एवं श्रावस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 35.356 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 8546 वृक्षों के पातन अर्थात कुल 82.7212 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 35693 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक–2400/11–सी–FP/UP/Road/147236/2021, दिनांक 20–01–2023।

महोदय,

अवगत करना है कि विषयाकिंत प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ ने अपने उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा बिन्दु संख्या–1 से 15 तक आपत्ति लगायी गयी है, जिसमें से बिन्दु संख्या–1,4,9 तथा 10 से सम्बन्धित आपत्ति का निराकरण आपके स्तर से वॉछित है।

अतः उक्त सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति इस आशय से प्रेषित है कि पत्र में वर्णित बिन्दु संख्या–1,4,9 तथा 10 की आपत्ति का निराकरण कराकर वॉछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख 5 प्रतियों में अतिशीघ्र ही इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि उक्त आपत्तियों का निराकरण कर अनुपालन आख्या उच्च स्तर को शीघ्र ही प्रेषित की जा सके।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(संजय शर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बहराइच वन प्रभाग,बहराइच।

पृ०सं०– अ/उक्तदिनांकित ।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(1) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।
(2) वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, उ०प्र०, गोण्डा।
(3) प्रभागीय वनाधिकारी/नोडल अधिकारी, श्रावस्ती वन प्रभाग, श्रावस्ती।

(संजय शर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बहराइच वन प्रभाग,बहराइच।